ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नौएडा सिटी–201310, जिला–गौतमबुद्ध नगर
वेबसाईट– www.greaternoidaauthority.in, ई–मेल– authority@gnida.in

दिनांकः 28.12.2020

स्वच्छता रैंकिंग

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम–2016 को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु प्राधिकरण कार्यवाही कर रहा है। नियमों के अनुसार 100 कि0ग्रा0 कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करने वाली अथवा 5000 वर्गमी0 से अत्यधिक क्षेत्रफल वाली इकाईयों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन श्रेणी के अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं को अपने कचरे का उठान, प्रबंधन एवं निस्तारण स्वयं के श्रोतों से किया जा रहा है। कचरे के पृथक्कीरण (Segregation) के उपरान्त बचने वाले अवशेष कचरे (Inert Waste) के उठाने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है।

स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गीला कचरा (Wet Waste) प्रबन्धन करने वाली विभिन्न बिल्डर एवं कोऑरेटिव सोसाईटियों के मध्य प्रतिस्पर्धा आयोजित की जानी है। प्रतिस्पर्धा हेतु कुछ प्रश्न तैयार किये गये हैं, जिसमें उनके संस्थान की सूचनाएं मय साक्ष्यों के साथ गूगल फार्म के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेंगी। गूगल फार्म लिंक– **https://docs.google.com /forms/d/e/1FAIpQLSdnxpXCPg15cyUrRjB6xtZfmGILjKLeSpwnR6fqzKVyWXRINg/viewform** पर उपलब्ध है। सभी प्रतिभागियों को अपनी–अपनी प्रविष्टियां दि0 10.01.2021 तक प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध करायी जायेंगी। इस प्रतियोगिता में प्रथम 03 सोसाईटियॉ जो उच्च अंक प्राप्त करेंगी, उनका सत्यापन प्राधिकरण की टीम द्वारा उनके द्वारा दी गयी जानकारी का सत्यापन किया जायेगा। प्रथम तीन विजेताओं में क्रमशः प्रथम विजेता को रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख), द्वितीय विजेता को रू0 1.5 लाख (रूपये डेढ़ लाख) एवं तृतीय उच्च अंक प्राप्तकर्ता को रू0 1.00 (रूपये एक लाख) की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी।